

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2012

का.आ. 2612(अ).— केन्द्रीय सरकार, जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के परामर्श से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के निम्न तालिका के कॉलम (2) में सूचीबद्ध ऐसे पौधों और पशुओं की प्रजातियां, जो लुप्त होने के कागर पर हैं, को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

तालिका

क्रम संख्या	पौधों के नाम
(1)	(2)
1	आर्ट बोट्रिस निकोबारिएनस डी.दास
2	कैलामस निकोबारिक्स बैक.
3	कौरथलसिया रोगरसाई बैक.
4	मैन्जीफेरा अन्डमानिका किंग
5	औफियोग्लोसम पैन्ड्यूलम एल.
पशुओं के नाम	
1	ड्यूर्गांग ड्यूगान (म्यूलर, 1776)
2	डरमोचिलिस कोरिपिसिया (वेनडिली, 1761)
3	इरिटमोचिलिस इन्ड्रीकाटा (लिनेईयस, 1766)
4	राना चाल्सडार्विनाई (दास, 1998)
5	एनोजाईप्रिससिटिस कसपीडाटा (लैटनम, 1794)
6	कारचारहिनस हिमियोडैन (वैलैनसिनीस, 1839)
7	प्रिस्टिस माइक्रोडैन (लैथम, 1794)
8	प्रिस्टिस जिसरैन (लैकर, 1851)

2. तालिका के कॉलम (2) में सूचीबद्ध पौधों और पशुओं की जातियों के संग्रह को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के अनुमोदन के अलावा प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) वैज्ञानिक अनुसंधान;
- (ख) वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थाओं के वनस्पति-संग्रहालय और संग्रहालय;
- (ग) प्रचार, और
- (घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण।

3. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (i) समग्र तालमेल के लिए अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन;
- (ii) यथावत और पूर्ववत् संरक्षण तथा पुनर्वास के प्रयोजन हेतु अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और
- (iii) वन विभाग के कार्मिक, जैव-विविधता प्रबंधन समितियों, पारिस्थितिक पर्यटन कार्यक्रमों और वनवासियों और जनजातियों के लिए अधिसूचित प्रजातियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

[फा. सं. 28-12/2008-सोएस-III]

हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2012

S.O. 2612(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Administration of Andaman & Nicobar Islands, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table below, for the Andaman & Nicobar Islands, namely:—

TABLE

Sl. No.	Name of the Plants
(1)	(2)
1	<i>Artobotrys nicobarianus</i> D. Das
2	<i>Calamus nicobaricus</i> Becc.
3	<i>Korthalsia rogersii</i> Becc.
4	<i>Mangifera andamanica</i> King
5	<i>Ophioglossum pendulum</i> L.
Name of the Animals	
1	<i>Dugong dugon</i> (Muller, 1776)
2	<i>Dermochelys coriacea</i> (Vandelli, 1761)
3	<i>Eretmochelys imbricata</i> (Linnaeus 1766)
4	<i>Rana charlesdarwini</i> (Das, 1998)
5	<i>Anoxypristes cuspidata</i> (Latnam, 1794)
6	<i>Carcharhinus hemiodon</i> (Valenciennes, 1839)
7	<i>Pristis microdon</i> (Latham, 1794)
8	<i>Pristis zijsron</i> (Bleeker, 1851)

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the Table shall be prohibited, except with the approval of the Administration of Andaman & Nicobar Islands only for the purposes mentioned below, namely:-

- (a) scientific research;
- (b) herbarium and museum of scientific and academic institutions;
- (c) propagation; and
- (d) any other scientific investigation

3. The Administration of Andaman & Nicobar Islands shall undertake:-

- (i) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;
- (ii) propagation of the notified species for the purpose of in situ and ex situ conservation and rehabilitation; and
- (iii) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

HEM PANDE, Lt. Secy.

4122 (G) 12-2

